



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 23 फरवरी 2023

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-05, अंक- 147

महत्वपूर्ण एवं खास

पद्म श्री, पद्म भूषण सम्मानित प्रसिद्ध नृत्यांगना का 85 वर्ष की उम्र में निधन

मुंबई (आरएनएस)। प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना डॉ. कनक वाई रेले का बुधवार सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष की थीं और उनके परिवार में उनके पति यतींद्र रेले, बेटा राहुल और बहू उमा और पोते-पोतिया हैं। एक सप्ताह से अधिक समय से बीमार रेले को उपनगरीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सुबह करीब साढ़े सात बजे अंतिम सांस ली। रेले, जिन्होंने सात साल की उम्र से नृत्य करना शुरू किया था, मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य में डॉक्टरेट करने के अलावा, मुंबई और ब्रिटेन में एक वकील थीं। लगभग आठ दशकों के अपने लंबे और शानदार नृत्य करियर में, रेले को पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार और अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया।

उद्भव गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, अभी एकनाथ गुट के पास

ही रहेंगे शिवसेना और धनुष-बाण नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट से उद्भव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि अभी शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहेंगे। शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दो सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी। बता दें, उद्भव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि आखिरी फैसला होने तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उद्भव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार लका है। इस मामले में कोई अंतिम फैसला होने तक स्टे लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गंभीर चिंता पैदा होती है।

आतंकी हमलों की कवरेज पर रोक, चैनलों के लिए गाइडलाइन जारी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी चैनल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन्स के तहत अब न्यूज चैनल पाकिस्तान में आतंकी हमलों की कवरेज नहीं करेगा। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कई बार फौरन दिखाई गई ये खबरें वैरिफाइड भी नहीं होतीं। ऐसे में आतंकीता पैदा होती है। इतना ही नहीं, ये सब देखने के बाद आतंकीवादी भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अधिसूचना में कहा गया है, यह गंभीर चिंता का विषय है कि बार-बार दिशा-निर्देश दिए जाने के बावजूद सैटेलाइट टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आचार संहिता 2015 के प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ हैं। 'पैमरा' ने आतंकीवादी हमलों के कवरेज को बैन के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि समाचार चैनल केवल लीड लेने और सबसे पहले खबर दिखाने का क्रेडिट लेने के लिए बुनियादी प्रक्रिया मानदंडों और नैतिकता की अनदेखी करते हुए मैराथन प्रसारण का सहारा लेते हैं।

भीतरगांव में हार्ट अटैक से हुई सात लोगों की मौत, लगातार हो रही मौतों से पूरे गांव में दहशत

रायबरेली (आरएनएस)। खीरों क्षेत्र के भीतर गांव में मंगलवार से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला जारी है। बुधवार को गांव में सातवीं हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लगातार हो रही मौतों से पूरे गांव में दहशत का वातावरण है।

भीतर गांव में मंगलवार को शुरू हुआ मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गांव के कमल (45 वर्ष) पुत्र अर्जुन, छत्रपाल (60 वर्ष) पुत्र नरपत, शोभा (60 वर्ष), ननकई पत्नी कंधई, सुखा पुत्री दसऊ, जगदीश (80 वर्ष) पत्नी मंगल पाल की एक ही दिन मौत हुई थी। एक ही दिन में हुई आधा दर्जन हार्ट अटैक से

मौत के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मंगलवार की रात पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी गांव पहुंचे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैप किए हुए है। इस बीच बुधवार को गांव जेमेथोक मजरे भीतरगांव निवासी शक्तिदीन गौतम (74 वर्ष) पुत्र स्वप्न पंचम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शक्तिदीन सेवानिवृत्त अमीन थे। मृतक के बेटे रमेश कुमार ने बताया कि उनके पिता बुधवार की सुबह घर के सामने झाड़ू लगा रहे थे। तभी अचानक अचेत होकर गिर गए। उन्होंने फोन करके एंबुलेंस मंगवाई



, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सातवीं मौत के बाद बुधवार को भी जिले के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग गांव के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहा है। मृतकों में कमल को छोड़कर बाकी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के है।

नोएडा में 1.20 करोड़ का 536 किलो गांजा बरामद, दो लोग तस्कर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक गाड़ी से 536 किलो का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

दरसअल स्वाट टीम और नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजे की खेप दिल्ली एनसीआर में आने वाली है। गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड रतनलाल इस गांजे को सप्लाई करने वाला है। इसी को लेकर सेक्टर 150 के पास इन लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। तभी एक कन्टेनर इनको आती हुई दिखाई दी। जब

गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया और सही तरह से तलाशी ली गई तो, उसमें भारी मात्रा में बोरे में गांजा भरा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे इनामी तस्कर रतनलाल जोकि हापुड़ का रहने वाला है और उड़ीसा से माल को सप्लाई करने वाले सदाशिव मिश्रा जोकि उड़ीसा के रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 539 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह गांजा छोटे छोटे पैकेट में बेचा जाना था। दिल्ली एनसीआर के अलावा लुधियाना और महाराष्ट्र में



भी इस गांजे की सप्लाई की जाती थी। डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बीटा 2 पुलिस ने 500 किलो

मिली कि रतनलाल उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाला है। उसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का चला पता

रांची (आरएनएस)। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर बुधवार को दूसरे दिन भी तलाशी जारी रखी है। इस दौरान ईडी ने 100 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति का पता लगाया है। अब तक 25 लाख रुपए कैश और डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा के गहने बरामद किए गए हैं। वीरेंद्र राम और उनके रिश्तेदार आलोक रंजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

रांची के वसुंधरा एस्टेट स्थित उनके मकान को सीआरपीएफ और पुलिस ने घेर रखा है। इसके अलावा रांची कचहरी चौक के पास अभियंत्रण भवन में स्थित उनके कार्यालय और जमशेदपुर, दिल्ली, सिवान, सिरसा के 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वीरेंद्र राम के परिवार के कई सदस्यों, उनके दिल्ली

दूसरे दिन भी ईडी ने मारा छापा



स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मिश्र और ठेकेदार अतिकुल्लाह अंसारी के यहां भी छापेमारी की गई है। ईडी सूत्रों के अनुसार, अवैध निवेश के जो दस्तावेज मिले हैं उनमें वीरेंद्र राम ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा

कर्म के तौर पर दिखाया है, लेकिन जांच के दौरान कर्म देने वाली संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं मिला। यह जानकारी भी मिली है कि सीए के जरिए उन्होंने कई शेल कंपनियों में निवेश कर रखा है। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में वीरेंद्र

राम के परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन आलीशान मकान हैं, जिनका बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपए है। पिछले महीने उन्होंने अपने पिता गंगाराम के नाम पर दिल्ली के छतरपुर में चार करोड़ रुपए में एक मकान खरीदा है, जिसे तोड़कर नए सिरे से निर्माण कराया जा रहा है।

बता दें कि वर्ष 2019 में एसीबी की टीम ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर में वीरेंद्र राम और जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की थी और इस दौरान उनके आवास से दो करोड़ 45 लाख रुपये बरामद किए गये थे। इस मामले में ईडी ने 2020 में सुरेश प्रसाद वर्मा और आलोक रंजन पर केस दर्ज किया था। एसीबी ने सुरेश प्रसाद और आलोक रंजन के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था।

जासूसी के आरोप में फंसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। 2015 में फीड बैक यूनिट का गठन करने और उनके कामकाज पर लग रहे आरोपों के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। अब इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई है। कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। जहां आप सरकार की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

दरअसल, सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस टीम के गठन के बाद इसमें 20 अधिकारियों को शामिल



किया गया था। जिनपर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं की कथित तौर पर जासूसी कर कई तरह की जानकारी हासिल की है। आरोप में ये भी कहा गया था कि सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि आप पार्टी के कई नेताओं की भी जानकारी ली गई थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने किया राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी का ऐलान, ट्रंप को देंगे टक्कर

वाशिंगटन । भारतीय-अमेरिकी तकनीकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने घोषणा की है कि वह 2024 रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दौड़ में हैं। एक शॉर्ट वीडियो में, 37 वर्षीय ने कहा, हमने अपनी 'डायवर्सिटी' का इतना जश्र मनाया है कि हम सभी तरीकों को भूल गए हैं कि हम वास्तव में अमेरिकियों के समान हैं, उन आदर्शों से बंधे हैं जो 250 साल पहले लोगों के एक विभाजित, अडिग्रल समूह को एकजुट करते थे। मुझे खुद पर विश्वास है कि वे आदर्श अभी भी मौजूद हैं। मैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ में हूँ।



हम एक राष्ट्रीय पहचान के संकट के बीच में हैं। विश्वास, देशभक्ति और परिवार गायब हो रहे हैं। हम इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक के बाद एक विवेकवाद से जलवायुवाद तक धर्मनिरपेक्ष धर्म को गले लगा रहे हैं। फिर भी हम इसका जवाब भी नहीं दे सकते कि क्या इसका मतलब एक

बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी रोडवेंट साइंसेस की स्थापना की थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर, विवेक रामास्वामी और संयुक्त राष्ट्र राजदूत निककी हेलेनी ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

अमेरिकी होना है। रामास्वामी, जिनके माता-पिता केरल के पलक्कड़ में वडक्कनचेरी से आकर बसे थे, उन्होंने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट की सह-स्थापना की और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। स्ट्राइव से पहले, उन्होंने

होटल में लगी भीषण आग, 2 बच्चों सहित 6 लोगों की दर्दनाक मौत

मॉस्को । रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बीती देर रात बताया कि मॉस्को में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से दो बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने टेलीग्राम में सैसिजिंग प्लेटफॉर्म पर कहा कि आग की घटना से नौ लोग घायल हुए हैं और करीब 200 लोगों को इमारत से निकाला गया है। इस इमारत में एक होटल भी है। रूस की जांच समिति ने टेलीग्राम पर कहा कि आधी रात से ठीक पहले आग बुझा दी गई और हर कमरे का निरीक्षण किया गया।

आगे बताया कि उन्होंने इमारत की पांचवीं मंजिल पर लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है। रूसी एजेंसियों ने बताया कि मॉस्को के त्गार्स्की जिले में 41 साल पुरानी इमारत के निचले फ्लोर पर एमकेएम होटल के साथ-साथ ऊपरी फ्लोर पर अपार्टमेंट भी है।

रूस की तास एजेंसी ने एक आपातकालीन सेवा अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि आगजनी के प्रारंभिक कारणों का पता नहीं चला है।

एयर इंडिया की यूएस-दिल्ली फ्लाइट की करवाई इमरजेंसी लैंडिंग, 300 यात्री थे सवार

नई दिल्ली (आरएनएस)। लगभग 300 यात्रियों के साथ एयर इंडिया नेवार्क (यूएस)-दिल्ली उड़ान (रहूड106) में तकनीकी खराबी आने के बाद स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की गई। बताया जाता है कि एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान के एक इंजन में ऑयल लीक होने के कारण ये फैसला किया गया। विमान के इंजन के जांच की जा रही है।

एयर इंडिया फिलहाल दूसरे विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजने



की तैयारी कर रहा है। इस विमान में 300 पैसंजर सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त स्टॉकहोम हवाईअड्डे पर बड़ी संख्या में तमकल गाइडों को तैनात किया गया था।

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

मोरेबी पुल हादसा

ओरेवा कंपनी को मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को ओरेवा समूह को प्रत्येक पीडित के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।



30 अक्टूबर की शाम को मोरेबी शहर में मच्छू नदी पर झूला पुल गिरने से 35 बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुल की मरम्मत और रख-रखाव का ठेका ओरेवा समूह को दिया गया, जिसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए और बिना मोरेबी नगरपालिका की मंजूरी के पुल को विजिटर्स के लिए खोल दिया।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की प्रथम खंडपीठ ने प्रत्येक पीडित के परिजनों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए इस

तरह की त्रासदियों में मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया: ऐसी त्रासदियों में, एक निजी पार्टी को मुआवजे का 55 प्रतिशत अपनी जेब से देना होगा, और शेष 45 प्रतिशत राज्य निधि द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

आगे कहा गया, यह केवल पीडितों को राहत देने का एक प्रयास है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कोई उनकी भरपाई नहीं कर सकता, ये तो बस एक कोशिश है। प्रत्येक पीडित एक कोशिश है। प्रत्येक पीडित को 5 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये देने के ओरेवा समूह के प्रस्ताव को अदालत ने खारिज कर दिया।